

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक- 1232 /768/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	आदित्य गुप आफ इंस्टी० कालेज आफ एजुकेशन सैरगंज सतना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	आदित्य कालेज सतना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी०एससी०-भौतिक, गणित, रसायन, बाटनी जूलॉजी-प्रथम बी०ए०-प्रथम-इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एम०काम० पूर्वार्द्ध
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	— निरंक —
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	निकटवर्ती महा०में 50 प्रतिशत से कम प्रवेश, समिति की नवीन सदस्यों की धारा 27 की अनुमोदित सूची, कालेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति नहीं, ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज अप्राप्त


//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कालेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति नहीं है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी0एससी0-भौतिक, गणित, रसायन, बाटनी जूलॉजी-प्रथम बी0ए0-प्रथम-इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र एम0काम0 पूर्वार्द्ध

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1234/768/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
 - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.भोपाल।
 - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
 - 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
 - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक-1229/333/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिब्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिब्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिब्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिब्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कश्यप स्मृति शिवाजी शिक्षा समिति, रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	छत्रपति साहू जी शिक्षा महाविद्यालय रतहरी रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0कॉम प्लेन एवं बी0कॉम ऑनर्स
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	—
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	पृथक भवन एवं स्टाफ की पूर्ति हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं, वेतन भुगतान किए जाने का बैंक विवरण पत्रक, ईपीएफ कटौती, धारा 27 में सदस्यों की वैद्य सूची आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
6	आदेश दिनांक 10/04/17 द्वारा प्रथम 'रिब्यू' अमान्य करने का कारण	संस्था में पूर्व से बी0एड पाठ्यक्रम संचालित है। मार्गदर्शिका की कडिका 2.1.6 अन्य आवश्यक मानदण्ड की उप कडिका 6-में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक महाविद्यालय के लिये अपना स्वयं अथवा 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज/किराये का पृथक भवन एवं परिसर अनिवार्य होगा, जिसमें कोई अन्य संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यदि समिति उसी महाविद्यालय परिसर में अन्य पाठ्यक्रम एनसीटीई/बीसीआई आदि से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करती है तो परिसर में पृथक-पृथक भवन/स्टाफ आदि की अनिवार्य व्यवस्था की पुष्टि पर ही अनुमति/अनुशंसा दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अतः इस नियम की पूर्ति नहीं होने से प्रकरण अमान्य।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	— निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0कॉम प्लेन एवं बी0कॉम ऑनर्स

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1230/333/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- 1231/192/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिब्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिब्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिब्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिब्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	रोशन सामाजिक एवं शिक्षण समिति, हडबडों सीधी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	एकलव्य महा० सीधी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी०ए०-तृतीय-राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, होमसाइंस बी०एससी०-तृतीय-भौतिक, जूलॉजी, गणित, माइक्रोबायोलॉजी कम्प्युटर सा० बी०काम०-तृतीय अति०वि० इंकमटेक्स, अर्थशास्त्र, इंश्योरेंस, प्रेक्टिस एण्ड मैने०

//2//

5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कालेज कोड 28 में नियुक्ति नहीं, गतवर्ष में लगाई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज, बैंक से वेतन भुगतान प्रमाण नहीं, समिति के नवीन सदस्यों की धारा 27 अनुमोदित सूची, ईपीएफ कटौती आदि के दस्तावेज अप्राप्त
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कार्यालयीन पत्र दिनांक 15.03.17 के परिपेक्ष्य में संस्था द्वारा चाही जानकारी नियमानुसार प्रस्तुत नहीं की गई है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	बनियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी0ए0-तृतीय-राजनीति, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, होमसाइंस बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, जूलॉजी, गणित, माइक्रोबायोलॉजी कम्प्युटर सा0 बी0काम0-तृतीय अति0वि0 इंकमटेक्स, अर्थशास्त्र, इश्योरेंस, प्रेक्टिस एण्ड मैने0

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1232/192/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

— की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004
-:: आदेश ::-**

भोपाल, दिनांक- /04/2017.

क्रमांक- /265/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत /विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	श्री साईबाबा शिक्षा समिति, खकनार जिला बुरहानपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	अशा0 श्री साईबाबा महा0 खकनार जिला बुरहानपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	निरंक
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1-बी0ए0-तृतीय-समाज,राजनीति,हिन्दी अति0वि0 इतिहास 2-बी0काम0-तृतीय
5	आदेश क्रमांक 580/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	वेतनमान बैंक के माध्यम भुगतान संबंधी दस्तावेज,ईपीएफ कटौती के नियमानुसार दस्तावेज,धारा-27 में जीवित सदस्यों की सूची उपलब्ध नहीं है। कोड-28 में वि0वि0का पत्र नहीं है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कोड 28 में वि0वि0 की अधिसूचना नहीं है।

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कोड -28 में वि०वि०की नियुक्ति (अधिसूचना) प्रस्तुत नहीं।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		1-बी०ए०-तृतीय-समाज,राजनीति,हिन्द ी अति०वि० इतिहास 2-बी०काम०-तृतीय

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक- /265/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- /04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,इन्दौर संभाग,इन्दौर (म०प्र०)।
- 4- कुल सचिव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर (म०प्र०)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक-1234/37/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	टाटा शिक्षा एवं सामाजिक विकास समिति, रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	टाटा कालेज, मउगंज
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	-----
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय-हिन्दी, समाज, कम्प्युटर, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान बी0काम0-तृतीय-प्लेन/ बी0बी0ए0-तृतीय, बी0सी0ए0-तृतीय
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कालेज कोड 28 में नियुक्ति के दस्तावेज, वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट, धारा 27 की अनुमोदित सूच के दस्तावेज पूर्ण नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कालेज कोड 28 में नियुक्तियों नहीं हैं, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7	द्वितीय रिज्यू परीक्षण निष्कर्ष	कामियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिज्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	निर्णय
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी०ए०-तृतीय-हिन्दी, समाज, कम्प्यूटर, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान बी०काम०-तृतीय-खेल/ बी०बी०ए०-तृतीय बी०सी०ए०-तृतीय

4 संस्था द्वारा ईपीएफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1240/37/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक-30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
 - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
 - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म०प्र०)।
 - 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म०प्र०)।
 - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक-1241/244/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	गोपीबाई समाज एवं विकास समिति, टिहकी ब्योहारी जिला शहडोल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टिहकी ब्योहारी जिला शहडोल
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी०सी०ए०-तृतीय बी०बी०ए०-तृतीय बी०काम०-तृतीय-अति० वि० कम्प्यूटर
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	वि०वि० की संबद्धता की प्रति, कालेज कोड 28 में नियुक्ति के दस्तावेज नहीं हैं।


//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कलेज कोड 28 में संचालित पाठ्यक्रमों में नियुक्तियों नहीं है। कार्यालयीन आदेश दिनांक 15.03.17 के परिपेक्ष्य में संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति नहीं की गई है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी०सी०ए०-तृतीय बी०बी०ए०-तृतीय बी०काम०-तृतीय-अति० वि० कम्प्युटर

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1242/244/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
 - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
 - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, रीवा (म०प्र०)।
 - 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म०प्र०)।
 - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पाँचवीं मन्जिल,ए-बी विंग,भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक-1237/349/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3.द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	नवोदय जन कल्याण शिक्षा समिति, चुरहट जिला सीधी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	नवोदय महा0 चुरहट सीधी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0काम0-प्रथम मैनेजमेंट
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय-बाटनी जूलॉजी केमिस्ट्री/ बायोटेक्नोलॉजी बी0काम0-आनर्स-कम्प्युटर-तृतीय
5	आदेश क्रमांक - 578/999/ आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति,वर्तमान सत्र की आडिट रिपोर्ट, परीक्षा परिणाम,भवन संबंधी दस्तावेज पाठ्यक्रमों का शुल्क,अग्रणी महा0का 50 प्रतिशत प्रमाण पत्र,वि0वि0 की संबद्धता,अध्यादेश की प्रति,ईपीएफ कटोत्रा, बैंक से वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र निकटवर्ती कुछ महा0में 50 प्रतिशत से कम प्रवेश,धारा 27 की समिति की नवीन सदस्यों की अनुमोदित सूची,ईपीएफ कटोत्रा के दस्तावेज अप्राप्त


//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कार्यालयीन पत्र दिनांक 15.03.17 के परिपेक्ष में संस्था द्वारा नियमानुसार दस्तावेज की पूर्ति नहीं की गई है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी0काम0 -प्रथम मैनेजमेंट बी0एससी0-तृतीय-बाटनी जूलॉजी केमिस्टी/ बायोटेक्नोलॉजी बी0काम0-आनर्स-कम्प्युटर-तृतीय

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1238/349/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक-1249/96/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	हाईटेक एजु0 सोसा0 सिंगरौली
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	हाईटेक इंस्टी0 आफ टेक्नीकल एजुकेशन बडोखर जिला सिंगरौली
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित रसायन कम्प्युटर ए0 बी0काम0-तृतीय, बी0बी0ए0-तृतीय, बी0सी0ए0-तृतीय
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	आवेदित पाठ्यक्रम में मूल चालान की प्रति, वि0वि0की संबद्धता, कालेज कोड 28 में नियुक्ति के दस्तावेज, आडिट रिपोर्ट, गत वर्ष में लगाई शर्तों की पूर्ति, नवीन सदस्यों की धारा 27 की अनुमोदित सूची आदि के दस्तावेज अप्राप्त


//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कालेज कोड 28 में नियुक्तियाँ नहीं हैं, चयन समिति गठित है।
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कर्मियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		निरंक बी०एससी०-तृतीय-भौतिक, गणित रसायन कम्प्युटर ए० बी०काम०-तृतीय, बी०बी०ए०-तृतीय, बी० सी०ए०-तृतीय

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1250/96/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक-30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको. भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म०प्र०)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म०प्र०)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्य प्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पौचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक- /207/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	शकुन्तला शिक्षण एवं ग्रामीण विकास जयसिंह नगर शहडोल
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	देवी शकुन्ता महा0 जयसिंह नगर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	—
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय-हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	पृथक भवन एवं स्टाफ की पूर्ति दस्तावेज प्रस्तुत नहीं, वेतन भुगतान किए जाने का बैंक विवरण पत्रक, ईपीएफ कटौती, धारा 27 में नवीन सदस्यों की सूची आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कार्यालयीन आदेश दिनांक 15.03.17 के परिपेक्ष्य में संस्था द्वारा कमियों की पूर्ति नहीं की गई है।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	— निरंक —
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय-हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।


अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक— /207/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक— 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
 - 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको, भोपाल।
 - 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
 - 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
 - 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
 - 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

क्रमांक-1235/234/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

संख्या क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	ददी प्रसाद कलावती मेमोरियल शिक्षा परिषद्, रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	शिवाजी शिक्षा महा० अनंतपुर रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	---
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बीएससी प्रथम वर्ष अति० बायोटेक बीकॉम प्लेन प्रथम वर्ष
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	संस्था को कार्यालय द्वारा किसी भी सत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। संबन्धित महा० द्वारा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा में नवीन महा० का शुल्क जमा नहीं किया गया है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	संस्था को कार्यालय द्वारा किसी भी सत्र में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। संबन्धित महा० द्वारा कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा में नवीन महा० का शुल्क जमा नहीं किया गया है।


// 2 //

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	— निरंक—
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बीएससी प्रथम वर्ष अति0 बायोटेक बीकॉम प्लेन प्रथम वर्ष

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


“आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पु. क्रमांक-1236 / 234 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक- 30 / 04 / 2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक-1245/333/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के बालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	शान्ति संकल्प सेवा समिति सीधी
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	आर्या इंस्टीटो आफ टेक्नोलॉजी सीधी
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0एस0सी तृतीय भौतिक, गणित, बाटनी जूलॉजी, बी0काम0 तृतीय, बी0ए0 तृतीय हिन्दी राजनीति, समाज, कम्प्यूटर
5	आदेश क्रमांक - 578/999/ आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	वि0वि0 की संबद्धता संचालित पाठ्यक्रम, कालेज कोड 28 में पर्याप्त नियुक्ति, ईपीएफ कटोत्रा नहीं है।
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	प्राचार्य के अतिरिक्त कालेज कोड 28 में नियुक्तियाँ नहीं हैं, कार्यवाही प्रक्रियाधनी है।


// 2 //

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय	
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम
		बी0एस0सी तृतीय भौतिक , गणित , बाटनी जूलॉजी, बी0काम0 तृतीय, बी0ए0 तृतीय हिन्दी राजनीति, समाज, कम्प्यूटर

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

आशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1246/333/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

-:: आदेश ::-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक-1243/318/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	कश्यप स्मृति शिवाजी शिक्षा समिति, रीवा
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	सरदार वल्लभ भाई पटेल शिक्षा महा0 रक्षी, रीवा
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0एससी0-प्रथम- केमिस्ट्री, जूलॉजी इनवायरलमेंट बायोटेक्नोलॉजी
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	---
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	पृथक भवन एवं स्टाफ की पूर्ति हेतु दस्तावेज प्रस्तुत नहीं, वेतन भुगतान किए जाने का बैंक विवरण पत्रक, ईपीएफ कटौती, धारा 27 में नवीन सदस्यों की सूची आदि दस्तावेज

//2//

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	संस्था में पूर्व से बी0एड पाठ्यक्रम संचालित है। मार्गदर्शिका की कड़िका 2.1.8 अन्य आवश्यक मानदण्ड की उप कड़िका 6-में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक महाविद्यालय के लिये अपना स्वयं अथवा 30 वर्षीय रजिस्टर्ड लीज/किराये का पृथक भवन एवं परिसर अनिवार्य होगा, जिसमें कोई अन्य संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। यदि समिति उसी महाविद्यालय परिसर में अन्य पाठ्यक्रम एनसीटीई/बीसीआई आदि से संबंधित अन्य पाठ्यक्रम संचालित करती है तो परिसर में पृथक-पृथक भवन/स्टाफ आदि की अनिवार्य व्यवस्थाकी पुष्टि पर ही अनुमति/अनुशंसा दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। इस नियम की पूर्ति नहीं होने से नवीन पाठ्यक्रम का प्रकरण अमान्य योग्य है।	
7	द्वितीय 'रिव्यू' निष्कर्ष	परीक्षण कमियों की पूर्ति नहीं की गई।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	— निरंक —
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी0एससी0-प्रथम- केमिस्ट्री, जूलॉजी इनवायरलमेंट बायोटेक्नोलॉजी

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौती कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1244 / 318 / आउशि / सम्बद्धता / 17. भोपाल, दिनांक-30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको. भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म0प्र0)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म0प्र0)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

**कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए-बी विंग, भोपाल-462004**

--: आदेश :-

भोपाल, दिनांक-30/04/2017.

क्रमांक-1242/126/आउशि/सम्बद्धता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्य प्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017-18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करने पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरुद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रुपये 35,000/- के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3. द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन-पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करने के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :-

सरल क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	पुष्पा मेडिकल एण्ड एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी संग्राम कालोनी सतना
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	जानकी वल्लभ डिग्री कालेज रामपुर बघेलन सतना
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	बी0काम0-प्रथम बी0एससी0-प्रथम बाटनी कम्प्यूटर
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	बी0ए0-तृतीय-अर्थशा. राजनीति, कम्प्यूटर बी0एससी0-तृतीय-भौतिक, गणित कम्प्यूटर सा.
5	आदेश क्रमांक - 578/999/आउशि/ सम्बद्धता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करने का कारण	कालेज कोड 28 में प्राचार्य एवं संचालित पाठ्यक्रमों पर्याप्त नियुक्ति नहीं, गतवर्ष में लगाई गई शर्तों की पूर्ति के दस्तावेज, भवन संबंधी दस्तावेज, ईपीएफ कटौती के दस्तावेज, नवीन सदस्यों की धारा 27 की अनुमोदित सूची
6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करने का कारण	कालेज कोड 28 में नियुक्तियां नहीं है।


//2//

7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	कमियों की पूर्ति नहीं की गई।	
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय		
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यक्रम	— निरंक —
	आवेदित अग्रलिखित पाठ्यक्रमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यक्रम	बी०काम०-प्रथम बी०एस०सी०-प्रथम काटनी कम्प्यूटर बी०ए०-तृतीय-अर्थशा. राजनीति, कम्प्यूटर बी०एससी०-तृतीय-भौतिक, गणित कम्प्यूटर सा.

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।


"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

पृ. क्रमांक-1242/349/आउशि/सम्बद्धता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.
प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म०प्र०)।
- 2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको., भोपाल।
- 3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, रीवा (म०प्र०)।
- 4- कुल सचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, (म०प्र०)।
- 5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
- 6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

—की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.